



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 117]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 8, 2011/फाल्गुन 17, 1932

No. 117]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 8, 2011/PHALGUNA 17, 1932

वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मार्च, 2011

सा.का.नि. 194(अ).—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 में निम्नलिखित संशोधन जारी किए जाते हैं :—

केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 की प्रथम अनुसूची के भाग ग, खंड II के तहत संस्कृति मंत्रालय से संबंधित निम्नलिखित प्रविष्टि :

(रुपये में)*

क्र. सं.	पद	वर्तमान वेतनमान*	संशोधित वेतनमान*	संगत पे बैंड और ग्रेड पे*		रिपोर्ट का पैरा संख्या
				पै बैंड	ग्रेड पे*	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.	विज्ञान संवर्ग में सहायक अधीक्षक, सहायक पुरातात्विक कैमिस्ट, एएसआई	6500- 10500	7450- 11500	पीबी-2	4600	7.9.5

को निम्न प्रकार पढ़ा जाए :

(रुपये में)*

क्र. सं.	पद	वर्तमान वेतनमान*	संशोधित वेतनमान*	संगत पे बैंड और ग्रेड पे*		रिपोर्ट का पैरा संख्या
				पै बैंड	ग्रेड पे*	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.	सहायक अधीक्षक, पुरातात्विक कैमिस्ट, एएसआई	6500- 10500	7450- 11500	पीबी-2	4600	7.9.5

[फा. सं. 9(6)-ई. III(बी)/2010]

मधुलिका पी. सुकुल, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी :

1. केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008, 29 अगस्त, 2008 की संख्या सा.का.नि. 622(अ) के तहत अधिसूचित किए गए थे।
2. केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 में प्रथम संशोधन, 12 मार्च, 2009 की संख्या सा.का.नि. 161(अ) के तहत किया गया था।
3. केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 में द्वितीय संशोधन, 16 जुलाई, 2009 की संख्या सा.का.नि. 527(अ) के तहत किया गया था।
4. केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 में तृतीय संशोधन, 28 जुलाई, 2009 की संख्या सा.का.नि. 552(अ) के तहत किया गया था।
5. केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 में चतुर्थ संशोधन, 9 सितम्बर, 2009 की संख्या सा.का.नि. 650(अ) के तहत किया गया था।
6. केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 में पांचवां संशोधन, 21 अक्टूबर, 2009 की संख्या सा.का.नि. 773(अ) के तहत किया गया था।
7. केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 में छठा संशोधन, 13 अक्टूबर, 2010 की संख्या सा.का.नि. 833(अ) के तहत किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Expenditure)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th March, 2011

G.S.R 194(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the following Corrigenda to Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 2008 is hereby issued :—

The following entry under the Part-C, Section II of the First Schedule to the CCS (Revised Pay) Rules, 2008, pertaining to Ministry of Culture :

Sl. No.	Post	Present Scale*	Revised Pay Scale*	Corresponding Pay Band and Grade Pay*		Para No. of the Report
				Pay Band	Grade Pay*	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.	Assistant Superintendent in Science Cadre, Assistant Archaeological Chemist, ASI	6500-10500	7450-11500	PB-2	4600	7.9.5

May be read as :

Sl. No.	Post	Present Scale*	Revised Pay Scale*	Corresponding Pay Band and Grade Pay*		Para No. of the Report
				Pay Band	Grade Pay*	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.	Assistant Superintending Archaeological Chemist, ASI	6500-10500	7450-11500	PB-2	4600	7.9.5

[F. No. 9(6)-E. III(B)/2010]

MADHULIKA P. SUKUL, Jt. Secy..

Foot Note :

1. The Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 2008 were notified *vide* No. G.S.R. 622(E), dated the 29th August, 2008.
2. First modification to the Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 2008 was done *vide* No. G.S.R. 161(E), dated the 12th March, 2009
3. Second modification to the Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 2008 was done *vide* No. G.S.R. 527(E), dated the 16th July, 2009
4. Third modification to the Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 2008 was done *vide* No. G.S.R. 552(E), dated the 28th July, 2009
5. Fourth modification to the Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 2008 was done *vide* No. G.S.R. 650(E), dated the 9th September, 2009
6. Fifth modification to the Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 2008 was done *vide* No. G.S.R. 773(E), dated the 21st October, 2009
7. Sixth modification to the Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 2008 was done *vide* No. G.S.R. 833(E), dated the 13th October, 2010

